आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Excise Revision Case No.- 12 of 2015

Dist.:- Gopalganj

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S., Chairman-Cum-Member.

Suresh Singh - Petitioner/ Appellant

Versus

The Excise Commissioner & Ors. - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner : Sri Satyabir Bharti, Advocate
For the OP : Sri Shambhu Prasad, G.P.

ORDER

30.07.2018

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आयुक्त उत्पाद, बिहार द्वारा दिनांक– 07.01.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

अपीलकर्त्ता ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में गोपालगंज जिला में जिन बाजार, हथुआ की कम्पोजिट शराब दुकान की बन्दोबस्ती ली थी एवं उसका संचालन कर रहे थे। दिनांक– 20.12.2012 को गुप्त सूचना के आधार पर अवर निरीक्षक उत्पाद, सदर अंचल गोपालगज एवं चलिष्णु दल गोपालगंज द्वारा दुकान का संयुक्त रुप से औचक निरीक्षण किया गया एवं दुकान परिसर में अवैध देशी शराब के 400 मि0ली0 के 1500 सैचेट (हरा रंग) जिस पर सरैया इण्डस्ट्रीज लि0 विनिर्माणकर्त्ता के रुप में अंकित था, बरामद किया गया। इसी क्रम में दुकान के दो विक्रेताओं को गिरफतार कर उत्पाद अधिनियम की धारा–47 के तहत जेल भेजा गया। दुकान के एक विक्रेता श्री रमेश कुमार यादव के द्वारा इस बात की पुष्टी की गई कि दुकान मालिक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख सहि 3

(अनुज्ञाधारी) 20 बोरा सैचेट लाये थे जिसमें 5 बोरा बिक चुका है। दुकान का लेखावही भी निरीक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

दुकान में अवैध शराब की बरामदगी के आधार पर समाहर्त्ता, गोपालगंज के निदेश के अनुरुप अधीक्षक उत्पाद, गोपालगंज के द्वारा उत्पाद अधिनियम की धारा–42 के तहत दुकान की अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए अनुज्ञप्ति को विखंडित किये जाने से संबंधित कारण पृच्छा (ज्ञापांक– 1257 दिनांक– 24.12.2012) निर्गत की गई। जिसके अनुपालन में लाइसेंसी द्वारा दिनांक– 29.12.2012 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। फलतः समाहर्त्ता, गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक– 17 दिनांक– 08.01.2013 के द्वारा, अनुज्ञप्ति की शर्त्तो के उल्लंघन एवं उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा– 47 का दोषी पाते हुए इसी अधिनियम की धारा– 42 के प्रावधानों के अनुरुप इस अनुज्ञप्ति को विखंडित कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि दुकान परिसर से बरामद एवं जब्त की गयी देशी शराब की 400 मि0ली0 (हरा रंग) के 1500 सैचेट सरैया इंडस्ट्रीज से उत्पादित था, जो दिनांक– 16.10.2012 को बी0एस0बी0एल डिपो से लिये गये निर्गमन का बचा हुआ सैचेट था एवं वह नाजायज सैचेट नहीं था। साथ ही उन्होंने बताया कि समाहर्त्ता द्वारा जो आदेश पारित किया गया वो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंधन है क्योंकि कारण–पृच्छा (Show Cause) अधीक्षक उत्पाद द्वारा पूछा गया एवं विखंडल एवं Security deposit जब्त करने का आदेश समाहर्त्ता द्वारा बिना कारण–पृच्छा (Show Cause) के पारित किया गया। इसके समर्थन में उन्होंन Ramnandan Prasad Vs State of Bihar reported in 1983 PLJR 266 का हवाला दिया।

साथ ही उन्होंने बताया कि जहाँ तक दुकान के दो विक्रेताओं द्वारा लिखित रुप से बयान दिये जाने की बात है, उसमें जो लिखित

देश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

बयान है वो उत्पाद विभाग के अधिकारी द्वारा तैयार किया गया जिस पर विक्रेताओं का हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया गया। इस तरह प्राप्त किया गया लिखित बयान कानून की नजरों में सही नहीं है।

सरकारी अधिवक्ता द्वारा विभाग का पक्ष रखा गया और बताया गया कि अवर निरीक्षक उत्पाद, सदर, गोपालगंज एवं अवर निरीक्षक उत्पाद च0 दल के द्वारा निरीक्षण सह छापामारी के क्रम में दुकान में मौजूद दो विक्रेताओं जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, उन्होंने लिखित रुप में बयान दिया गया था कि निरीक्षण के एक दिन पूर्व ही मालिक (अनुज्ञाधारी) के द्वारा बीस बोरा सैचेट लाया गया गया था, जिसमें से 5 बोरा सैचेट बिक गया था तथा शेष 15 बोरा रह गया था, जिसे जब्त किया गया।

जब्त की गई सैचेट पर सरैया इंडस्ट्रीज अंकित था जबकि सरैया इंडस्ट्रीज की अनुज्ञप्ति पूर्व में विखंडित हो गयी थी।

जब्त की गई सैचटों की शक्ति जाँचोपरांत 73.7 यू0पी0 पायी गयी थी जो मानक से काफी कम है। बी0एस0बी0सी0एल के Invoice से भी स्पष्ट है कि बरामद की गई सैचेट वहाँ से निर्गत नहीं है। इस प्रकार बरामद सैचेट अवैध निर्मित सैचेट है जो अनुज्ञाधारी द्वारा अवैध रुप से लाकर बेचा जा रहा था।

दुकान परिसर से बरामद एवं जब्त 1500 सैचेट सरैया इंडस्ट्रीज लि0 का बना हुआ था और अवैध था। बी0एस0बी0सी0एल0 से इस शराब की आपूर्ति किए जाने का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही बरामद किये गये सैचटों की शक्ति 73.7 यू0पी0 पाई गई है जो मानक से काफी कम है। यह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों का घोर उल्लंघन है और इस क्रम में समाहर्त्ता द्वारा अनुज्ञप्ति का विखंडन कर दिया जाना नियमसंगत है। साथ ही आयुक्त उत्पाद द्वारा पारित आदेश भी विधिसम्मत है।

इस प्रकार अभिलेखों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों से सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि दुकान परिसर से बरामद देशी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

शराब के 400 ml के 1500 सैचेट दुकान में अवैध रुप से बिक्री के लिये लायी गई थी। यह उत्पाद अधिनियम की धारा–47 A के तहत किया गया अपराध है। अनुज्ञप्ति एवं बिक्री अधिसूचना की शर्त्तों का भी उल्लंघन है। सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उत्पाद आयुक्त द्वारा अपीलवाद सं0–2/2013 में दिनांक– 07.01.2015 को पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपील खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30/7/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

30/7/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।